भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2198
दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और मूल्य निर्धारण

2198. श्री पुष्पेंद्र सरोजः
एडवोकेट प्रिया सरोजः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत वर्ष के दौरान आवश्यक दवाओं की कमी का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो उत्पादन, मूल्य निर्धारण या वितरण से संबंधित मुद्दों सहित इसके कारणों तथा विशेषकर उत्तर प्रदेश के संबंध में तत्संबंधी राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्माताओं और वितरकों के विरुद्ध अधिक मूल्य वसूलने, मूल्य नियंत्रण आदेशों का अनुपालन न करने/अनुसूचित दवाओं की आपूर्ति में व्यवधान के लिए किए गए निरीक्षणों और उनके विरुद्ध की-गई-कार्रवाई का उत्तर प्रदेश के संबंध में राज्य/जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देशभर में जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता, गुणवत्ता और किफायत का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) किफायती आवश्यक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और इनकी कमी को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): औषध विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) जेनेरिक औषधियों सहित औषधियों की उपलब्धता की निगरानी करता है, यदि कोई कमी हो तो उसकी पहचान करता है और उपभोक्ताओं को औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करता है। देश के किसी भी हिस्से में किसी विशेष औषधि की कमी की सूचना राज्यों (उत्तर प्रदेश सहित) में स्थापित मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाइयों सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने पर, एनपीपीए राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित औषधियों का विनिर्माण करने वाली कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित करता है ताकि कमी को दूर किया जा सके। पिछले एक वर्ष में, सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों और कंपनियों की ओर से औषधियों की अत्यधिक कमी के संबंध में प्राप्त फीडबैक के आधार पर, एनपीपीए ने चार औषधियों, अर्थात् कार्बोप्लेटिन इंजेक्शन 10 मिलीग्राम/मिलीलीटर,

सिस्प्लैटिन इंजेक्शन 1 मिलीग्राम/मिलीलीटर, एंटी-टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन 250 आईयू और एंटी-टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन 500 आईयू की अधिकतम कीमतों में एक बार 50% की वृद्धि की अनुमति प्रदान की है।

एनपीपीए, डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी भी करता है और डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अधिप्रभारन करने और अन्य उल्लंघनों के मामलों में उचित कार्रवाई करता है। दिनांक 31.03.2026 तक, एनपीपीए ने अधिप्रभारन के 2737 मामलों में कार्रवाई शुरू की है। जिन मामलों में मांग नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें अधिप्रभारन के मामलों की विस्तृत सूची एनपीपीए की वेबसाइट (https://nppa.gov.in) पर उपलब्ध है। इसके अलावा, एनपीपीए औषधि कंपनियों द्वारा अधिप्रभारन किए जाने का राज्य-वार रिकॉर्ड नहीं रखता है।

इसके अलावा, सभी को, विशेषकर गरीबों और वंचितों को, गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं वहनीय मूल्यों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के अन्तर्गत जन औषधि केंद्र के नाम से अभिज्ञात 20,000 से अधिक समर्पित केंद्रों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनकी दरें सामान्यत: ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50% से 80% तक सस्ती होती हैं। आपूर्ति में किसी भी कमी को दूर करने और जेएके में उत्पादों की सुचारू आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) सितंबर 2024 से, योजना उत्पाद बास्केट में शीर्ष 100 बिक्री होने वाली दवाओं और बाजार में तेजी से बिक्री होने वाली 100 दवाओं सहित 200 सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली दवाओं का जेएके द्वारा स्टॉक रखे जाने को प्रोत्साहित किया गया है, जिसके तहत जेएके मालिक इन दवाओं के अपने द्वारा रखे गए स्टॉक के आधार पर मासिक प्रोत्साहन के पात्र हैं।

(ii) एक सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को जोड़ने के लिए एक संपूर्ण सूचना-प्रौद्योगिकी-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें पांच मालगोदाम और देश भर में वितरकों, जिनकी वर्तमान संख्या 42 है, का एक बढ़ता हुआ नेटवर्क शामिल है।

(iii) इसके अतिरिक्त, सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, योजना की कार्यान्वयन एजेन्सी भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) द्वारा 400 तेजी से बिक्री होने वाले उत्पादों की नियमित निगरानी की जाती है और इनकी मांग का निरंतर पूर्वानुमान लगाया जाता है। साथ ही, खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पूर्वानुमान पद्धति को डिजिटाइज़ करने के कदम उठाए गए हैं।

इसके अलावा, देश भर में आवश्यक औषधियों की उपलब्धता, वहनीयता और पहुंच में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न अन्य उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत, द्वितीयक या तृतीयक परिचर्या अस्पतालीकरण के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य आश्वासन/बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जिसमें दवाइयाँ भी शामिल हैं।

(ii) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निःशुल्क औषधि सेवा पहल के अंतर्गत, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के तहत अनुशंसित आवश्यक औषधियों की सूची देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य

केंद्रों (पीएचसी) से लेकर जिला अस्पतालों तक के जन स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

(iii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अमृत (उपचार के लिए किफायती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण) पहल के तहत, कैंसर, हृदयवाहिका रोग और अन्य बीमारियों के उपचार के लिए किफायती दवाएं, प्रत्यारोपण, सर्जिकल डिस्पोजेबल सामग्रियां और अन्य उपभोज्य वस्तुएं आदि, बाजार दरों पर औसतन 50% तक की छूट पर अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में स्थापित अमृत फार्मेसी स्टोरों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं।

(iv) राष्ट्रीय आरोग्य निधि और स्वास्थ्य मंत्री के विवेकानुदान की व्यापक योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से संबंधित गरीब मरीजों, जो कैंसर सहित प्रमुख जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
